<u>पश्चिम मध्य रेल</u>

क्र.सीएससी/जेबीपी/अभियोजन/15.

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
रे.सु.ब./प.म.रेल/जबलपुर
दिनांक-28.04.2015

उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता (टेली.)
<u>पचिम मध्य रेल/जबलपुर</u>

विषय- माह मार्च-2015 में पश्चिम मध्य रेल के क्षेत्राधिकार में रेल अधिनियम एवं रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण।

‘‘‘‘‘

उपरोक्त विषय में सुरक्षा विभाग से संबंधित जानकारी ई-मेल के माध्यम से भेज दी गई है साथ ही हार्ड कॉपी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया संलग्न जानकारी पश्चिम मध्य रेल की वेब साइड में अंकित करने का श्रम करें।

संलग्न/- 04 पेज ।

सहायक सुरक्षा आयुक्त (यात्री सुरक्षा)
<u>रे.सु.ब./मुख्यालय/जबलपुर</u>

रेल संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च-2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-2015	27	27	39450	39450	39	00	00

बुकशुदा संपत्ति की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च-2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-2015	01	00	21000	21000	04	00	00

रेल सामग्री की चोरी के मामलों का पंजीकरण विवरण माह मार्च-2015

माह	मामले		संपत्ति की कीमत रू. में		गिरफ्तार		
	दर्ज	हल	चोरी गई	बरामद	बाहरी व्यक्ति	रेलकर्मी	आरपीएफ
मार्च-2015	28	28	60,450	60,450	43	00	00

रे.सु.ब./पमरे द्वारा माह-मार्च-2015 के दौरान किये गये अन्य अच्छे कार्यो का ब्यौरा :-

1. दिनांक 06.03.2015 को रेसुबल पोस्ट इटारसी के सउनि कमल सिंह यादव द्वारा गस्त के दौरान इटारसी स्टे ान के प्लेटफार्म नंबर 01 पर गाडी क्रमांक 12617 मंगला एक्सप्रेस खडे होने के दौरान एक बालक सती ा पुत्र श्री साहब लाल उम्र लगभग 14 वर्ष निवासी ग्राम दुधावनी पुलिस थाना रानीपुर जिला बैतूल मध्यप्रदे ा लावारिस हालत मे मिला जिसे उसके बताये अनुसार उसके पिता से संपर्क कर दो गवाहो के समक्ष सुपुर्दगीनामा के तहत बालक सती ा को उनके पिता श्री साहब लाल को सुपुर्द किया गया।
2. कटनी पोस्ट के अंतर्गत दिनॉक 08.03.15 को सहायक मंडल अभियंता के कार्यालय, कटनी से 02 नग कम्प्यूटर सेट, दो नग प्रिंटर व दो नग पेन ड्राइव कुल कीमत अंदाज 15000 रु0 चोरी होने की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक कटनी हमराह स्टाफ के घटना स्थल पर पहुँचे जहॉ एडीईएन कटनी श्री जी एल वर्मा एवं कार्यालय अधीक्षक एस के प्यासी के साथ मौका मुआयना करने पर कार्यालय का मुख्य दरवाजा बराबर पाया गया। पीछे का दरवाजा टूटा हुआ पाया एवं उपर की ओर लगी प्लाई टूटी हुई पाया। कार्यालय से एक सरकारी कम्प्यूटर एवं एक निजी कम्प्यूटर तथा निजी कम्प्यूटर मे लगे प्रिंटर को चोरी होना पाया गया। साथ ही दराज के अंदर रखी दो पेन ड्राइव नही मिली। मौके पर ज्वाइंट नोट तैयार किया गया जिसकी प्रति संलग्न है। घटना के संबंध मे सिटी कोतवाली कटनी मे एफआईआर करवाई गई जिस पर उनके द्वारा अज्ञात बदमा ाों के विरूद्ध अपराध क्र0: 207/15 धारा 457, 380 आई.पी.सी. के तहत पंजीकृत कर विवेचना मे लिया गया है। दिनॉक 10.03.15 को मुखबिर खास की सूचना पर सिविल पुलिस के स0उ0नि0 परिहार व स्टाफ के साथ निरीक्षक कटनी, उ0नि0 अनिल कुमार झा, आर एन पटेल व आ0 आर के द्विवेदी द्वारा खिरहनी फाटक एरिया से 03 लडकों को पकडकर उनके कब्जे से उक्त रेल संपत्ति को जप्तकर अपराध क्रमांक 207/2015 में दिनॉक 08.03.15 को गिरफ्तार किया गया है।
3. दिनांक 15.03.2015 को मंसुनिकक्ष-भोपाल की सूचना पर रेसुबल पोस्ट भोपाल से सहायक उप निरीक्षक आर.के. बौरासी द्वारा गाडी संख्या 12162 अप के एसी ए-1 कोच को अटैंड किया तो कोच मे कार्यरत टीटी श्री एम.आर. मीणा मुख्यालय आगरा द्वारा कोच के बर्थ नंबर 29 पर रखे बैग को उतारकर सउनि को सुपुर्द किया गया। उसी दिनांक 15.03.2015 को यात्री अनूप कुमार भग्गो उम्र 42 साल निवासी 4/403 देवद ान सीएचएस डोगरी पारा छोड बन्दर रोड थाने पा चम मुम्बई (महाराष्ट्र) रेसुबल पोस्ट भोपाल पर उपस्थित हुआ। बाद यात्री अनूप कुमार भग्गो को बैग मे रखे सामान को चेक कराकर बराबर पाये जाने पर समक्ष दो गवाह के उसे सुपुर्द किया गया।
4. दिनांक 15.03.15 को निरीक्षक अपराध ााखा कोटा लीलाधर फौजदार, उपनिरी0 कोटा पोस्ट आर. के. यादव मय अपराध ााखा टीम द्वारा पीआरएस कोटा पर गुप्त निगरानी के दौरान एक बाहरी व्यक्ति नाम सलीम पुत्र मो0एजाज हुसेन उम्र-25 वर्ष जाति- मुसलमान निवासी- मसान रोड सरकारी डिस्पेंसरी के पास, पुलिस थाना-भीमगंजमण्डी कोटा (राज0) को 02 आरक्षित टिकिट एवम् 03 खाली आरक्षण फार्म के साथ पकडा। पूछताछ करने पर संतो ाजनक जवाब नही देने एवं कथित टिकट बतौर दलाली हेतु निकलवाना स्वीकार करने पर उसके विरूद्ध कोटा पोस्ट अपराध क्रमॉक-1054/15 धारा 143 रेल अधिनियम दिनॉक 15.03.15 कायम कर समय 17:00 बजे हस्बकायदा गिरफ्तार किया। आरोपी को दिनॉक 16.03.15 को न्यायालय में पे ा करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.15 तक जेसी भेजने के आदे ा पर जेल छोडा गया।
5. दिनांक 16.03.15 को उपनिरी0/भरतपुर बब्बन लाल द्वारा दौरान गस्त एक लावारिस बच्चे को भतरपुर स्टे ान पर देखा। नाम पता पूछने पर कथित बच्चे अपना नाम मोहम्मद कमालूददीन पुत्र मो. कासीम, उम्र-13 वर्ष बताया जिसे आव यक कार्यवाही उपरांत चाईल्ड लाईन भरतपुर के संरक्षण में दिया गया।
6. दिनांक 17.03.2015 को रेलवे स्टे ान भोपाल मैंनगेट के बैगेज स्केनर पर ड्यूटी पर तैनात रेसुबल पोस्ट भोपाल की महिला आरक्षक रं िम चिमानिया ने एक लड़की को प्लेटफार्म नं. 01 पर सामान्य वेटिंग रुम में अकेले घूमते पाया। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम हुक्की भील पुत्री मानसिह उम्र 16 साल निवासी चलाई करेनी जिला धार बताया और घर से बिना सूचना के आना बताया व लडकी के द्वारा परिजनो से संपर्क के लिये फोन नंबर की जानकारी नही बता पाने के कारण उक्त बालिका को आचंल संजीवनी सर्विस सोसायटी भोपाल के प्रतिनिधि श्रीमति जमुना फारकले व श्री संजीव जो ाी के संरक्षण मे सउनि एस एस भदौरिया द्वारा उन्हे सुपुर्द किया गया।
7. दिनांक 20.03.2015 को आउट पोस्ट गंजबासोदा से आरक्षक जफउद्दीन को ड्यूटी के दौरान गंजबसोदा स्टे ान पर एक लावारिस बालक घूमता हुआ मिला। जिसने अपना नाम बिक्की आसोले पुत्र श्री संजय आसोले उम्र 14 साल निवासी ग्राम केतापार पोस्ट कलंबी तह.कलमे वर जिला नागपुर राज्य महाराष्ट्र बताया और उसने बताया कि वह घर से बिना बताये भागकर आया है संपर्क करने पर उसके पिता को सूचना दी गई बाद उसके पिता रेसुब आउटपोस्ट गंजबसोदा में उपस्थित होने पर गबाहों के समक्ष बच्चे को सुपुर्द किया गया।
8. दिनांक 20.03.2015 को उप निरीक्षक हंसराज मीणा हमराह स्टॉफ प्रधान आरक्षक अ ाोक मन्ने के साथ गस्त के दौरान गाड़ी संख्या 12808 समता एक्सप्रेस को चैक करते समय एक व्यक्ति बैग में बजनी सामान लेकर जाते दिखाई

दिया। जिसे शंका होने पर उसे रोककर पूछताछ किया तथा उसके पास रखे बैग को चैक किया जिसमें अंग्रेजी शराब के 23 बाटल 500 मिली के पाये गये जिसके बारे में कोई लायंसेस या रसीद आदि नही बताया तथा उसने नाम अमित कुमार उम्र 24 साल निवासी दतिया जिला झाँसी का होना बताया। मामला आबकारी अधिनियम का होने के कारण जीआरपी थाना बीना को लिखित तहरीर के साथ सुपुर्द किया गया। मामले में जीआरपी बीना द्वारा उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 47/2015 धारा-34 आबकारी अधिनियम दिनांक 20.03.2015 को दर्ज किया गया।

9. दिनॉक 25.03.15 को गाडी सं.-54812 की सुरक्षा पार्टी में तैनात प्र0आर0 बीरीसिंह ने कापरेन स्टे ान पर कोच नम्बर छं.93315 के अन्दर क ुछ लगाओ-लगाओ की आवाज सुनकर अन्दर गया तो देखा कि कुछ व्यक्ति ता । खेल रहे थे तथा कुछ व्यक्ति रूप्ये लगा रहे थे। प्र0आर0 को देखकर वे सभी भागने गले तो उनमें से कैला ।, उम्र-40 वर्ष, को पकडा लिया गया तथा शेष भागने में सफल हो गये। पकडे गये व्यक्ति के पास से 940/-रूपये नगद एवं ता । के पत्ते बरामद किये जिसके रे0सु0ब0 पोस्ट कोटा को सुपुर्द किया गया। पकडे गये व्यक्ति ने अपने तीन साथियों के नाम कम । 1. इमरान, 2. विनोद मीना एवं अंकित पाण्डे बताया जिसके बयान लिए एवं विडियो रिकार्डिग की गई। बाद जीआरपी कोटा को सुपुर्द किया जिसके खिलाफ अ0क0-67/15 धारा 4/25 आर्मस एक्ट दिनॉक 25.03.15 कायम किया गया। जीआरपी द्वारा आरोपी को न्यायालय में पे । करने पर न्यायालय द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदे । पर जेल छोडा गया।

10. दिनॉक 27.03.15 को प्र0आ0 सूबेदार सिंह कटनी पोस्ट द्वारा कटनी स्टे ान में एक लावारिस बच्चा अंकु । वि वकर्मा वल्द स्व0 श्री धनीराम वि वकर्मा उम्र 14 वर्ष सा0 अमिलपुर थाना जैतवारा जिला सतना को उसके परिजनों को आव यक पूछताछ एवं त दीक पश्चात, समक्ष गवाहान सुपुर्दनामा तैयार कर उक्त बालक को उसके मामा को विना किसी सिकवा-ि ाकायत के सुपुर्द किया गया। बालिका के परिजनों द्वारा आरपीएफ की कार्यप्रणाली की सराहना की गई एवं वे बहुत प्रभावित हुए। बच्चे की सुपुर्दगी के संबंध मे उपनिरीक्षक अनिल कुमार झा द्वारा डिप्टी एसएस कटनी को अवगत कराया गया।

11. दिनांक 28.03.15 को रेसुबल पोस्ट बीना से सउनि आर के चौबे हमराह स्टाफ आरक्षक एस.पी.सिंह के साथ गस्त के दौरान प्लेटफार्म नंबर 3 व 4 के भोपाल छोर की तरफ यार्ड मे एक व्यक्ति संदिग्ध हालत मे दिखाई दिया। जिसे तत्काल पकडा तो उसने अपना नाम अरविंद तिवारी उम्र 26 साल निवासी जिला ललितपुर उ.प्र.बताया बाद उसके बैग को खोलकर देखा तो प्लास्टिक की पन्नी मे गांजा रखा पाया गया। उक्त व्यक्ति को मय गांजा सहित आगे की कार्यवाही हेतु जीआरपी बीना को सुपुर्द किया गया जिसमे जीआरपी बीना द्वारा उक्त व्यक्ति व गांजा को अपने ताबे मे लेकर गांजा को वजन कराया गया। जिसमे 3 किलो 800 ग्राम कीमत 38000/- रुपये का गांजा पाया गया बाद उक्त अपराधी के विरूद्ध अपराध कमांक 53/13 धारा 8/20 नारकोटिक्स एक्ट दिनांक 28.03.15 को दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी सुमार कर जांच मे लिया।

12. इस माह में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अभियान चलाकर धूम्रपान करते हुए पाये जाने पर 371 व्यक्तियों के विरूद्ध तम्बाकु अधिनियम (च्तवीपइपजपवद वि ंकअमतजपेमउमदज ंदक तमहनसंजपवद वि जतंकमए चतवकनबजपवदए ेनचचसल ंदक कपेजतपइनजपवद ।बजए 2003द्ध के तहत कार्यवाही करते हुए उनसे 74,200/-रू. का जुर्माना वसूल किया गया।

‘‘‘‘‘

<u>रेल अधिनियम के तहत माह मार्च-2015 में की गई कार्यवाही का विवरण :-</u>

धारा	पंजीकृत मामले	जुर्माना (रूपये में)
137	2047	911516
138	10719	5094609
139	0	0
141	286	111500
142	0	0
143	1	0
144	1164	342790
145	653	54700
146	8	2000
147	489	51900
153	1	0
154	13	53630
155	904	43400
156	331	17400
157	0	0
159	578	57450
160	10	0
161	0	0
162	723	25500
163	0	0
164	0	0
165	0	0
166	0	0
167	40	3300
172	0	0
173	0	0
174	8	8800
175	0	0
176	0	0
180;हद्ध	0	0
ज्वजंस	17ए975	6ए78ए495

‘‘‘‘‘